न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम

**प्रकरण संख्या–03 / 2022**

1. दलीप कुमार पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–निगरानीकर्ता / प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुंजी, पंचायत समिति भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः–01.03.2024

प्रार्थी दलीप कुमार पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2022 क्रमांक सं. 03 कार्यालय ग्राम पंचायत कुंजी पं.स. भादरा जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पचांयती राज. अधिनियम सन् 1994 प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार–

1.प्रार्थी निगरानीकर्ता का आबादी भूमि रामपुरा में रिहायशी मकान है, जिसके आगे सार्वजनिक चौक बना हुआ है तथा उक्त चौक में एक पीपल के वृक्ष को प्रार्थी के पिता धनपतराम ने करीब 30–35 वर्ष पूर्व लगाया था और पानी वगैराह डालता है। जिस पर पशुओं के बचाव के लिए कंटिली बाड़ बनाई हुई थी। प्रार्थी निगरानीकर्ता की माता का देहान्त होनें के बाद उनकी याददास्त हेतु व पीपल की पशुओं से रक्षा से बचाव के लिए व पक्षियों को अनाज डालने के लिए उक्त पीपल वृक्ष के चारो ओर ग्राम पंचायत कुंजी की स्वीकृति मिलने के [illegible] का पक्का चबुतरा का निर्माण कराया तथा जिसके चारों ओर [illegible] हुआ है। रास्ते में कोई अवरोध या बाधा नही है एवं चबुतरा सार्वजनिक प्रयोग [illegible] के लिए है। लेकिन [illegible] के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा झुठे तथ्यों के [illegible]र पर ग्राम पंचायत क[illegible] में प्रार्थना–पत्र पेश पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत उक्त चबुतरे का निर्माण तोड़ने पर अमादा है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2.ग्राम पंचायत कुंजी पचांयत समिति भादरा के समक्ष प्रार्थी द्वारा उक्त चबुतरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बनाने हेतु अनुमति ली गई तथा दिनांक 04.01.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र से स्पष्ट रोशन है। जिसमें दर्ज है कि चानणराम, दलीप पि. धनपतराम जाति जाट (सहारण) निवासी रामपुरा तहसील भादरा ने ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त करके ग्राम रामपुरा में पीपल के नीचे अपने खुद के खर्चा पर अपनी स्वर्गीय माता चावली देवी की यादगार में एक चबुतरे का निर्माण कराया गया है जिसमें सभी नियमो का पालना किया गया है उक्त जगह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायत का है इस प्रकार ग्राम पंचायत की पूर्व स्वीकृ ति के बाद ही निर्माण कराया गया है स्वंय ग्राम पंचायत कुंजी तहसील भादरा ने उक्त तथ्यों को दिनांक 04.01.2022 के प्रमाण–पत्र में स्वीकार किया है इसके पश्चात ग्राम पंचायत कुंजी ने प्रार्थी को दिनांक 11.02.2022 व दिनांक 03.02.2022 को प्रार्थी को नोटिस दिया जिसके बाद दिनांक 11.04.2022 को अन्तिम आदेश पीपल चबुतरे को तोड़ने का आदेश पारित कर दिया ग्राम पंचायत कुंजी स्वंय ने दिनांक 04.01.2022 को चबतुरे का निर्माण सही तौर से करवाया जाना अभिकथित किया है ग्राम पंचायत निगरानीधीन आदेश जारी करने से Estoplled है क्योंकि दिनांक 04.01.2022 को चबुतरा का निर्माण सही बताती है तथा दिनांक 11.04.2022 को निर्माण अवैध बताती है 3 माह में सही निर्माण से अवैध निर्माण होने के बारे में मातहत अदालत ने स्पष्ट नहीं किया। मातहत अदालत दिनांक 11.04.2022 को आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया है। क्योंकि वह दिनांक 04.01.2022 के आदेश से Estoplled है। इसलिए निगरानीधीन आदेश अपास्तनीय है।

3.उक्त सार्वजनिक चबूतरा चौक में स्थित है तथा ग्रामवासियों के आवागमन में कोई बाधा उत्पन नहीं होती है तथा उक्त चबूतरा निर्माण पर लाखो रूपये खर्च हो चुके है तथा स्वंय अप्रार्थी ने प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.2022 के अनुसार उक्त पीपल चबूतरा निर्माण में सभी नियमों का पालन किया गया है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त मातहत अदालत से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से Estoplled है। इसलिए निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 11.04.2022 क्रमांक सं. 3 बअदालत ग्राम पंचायत कुंजी पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा को, अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी की ओर जवाब निगरानी प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया कि निगरानीकर्ता उक्त सार्वजनिक चबुतरा की भूमि पर अपनी माता की मूर्ति यदि नहीं लगाता है तो निगरानी



अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

स्वीकार कर जाती है तो ग्राम पंचायत कुंजी को कोई ऐतराज नहीं है एंव निगरानीकर्ता चबुतरे के अलावा अन्य कोई निर्माण ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. के बगैर कराने से निषिद्ध रहे तो ग्राम पंचायत कुंजी को निगरानी स्वीकार करनें में कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी जवाब का अवलोकन किया तो पाया जवाब में अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि निगरानीकर्ता यदि उक्त सार्वजनिक चबूतरा की भूमि पर अपनी माता की मूर्ति नहीं लगाता है, एंव निगरानी स्वीकार की जाती है, तो ग्राम पंचायत कुंजी को कोई ऐतराज नहीं है। निगरानीकर्ता चबूतरे के अलावा अन्य कोई निर्माण ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. के बगैर कराने से निषिद्ध रहे तो ग्राम पंचायत कुंजी को निगरानी स्वीकार करनें में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव ग्राम पंचायत कुंजी का आदेश क्रमांक 3 दिनांक 11.04.2022 अपास्त किया जाता है और निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत कुंजी की एन.ओ.सी. के बिना सार्वजनिक चबूतरा के अलावा अन्य कोई निर्माण करनें से निषिद्ध रहे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 01.03.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested